[2022] 18 एस. सी. आर. 441

/

कमला नेती (मृत) थ्रू एल. आर. एस. बनाम.

विशेष भूमि अधिग्रहण कार्यालय और ओ. आर. एस. (2022 की सिविल अपील संख्या 6901)

/

09 दिसंबर, 2022

[एम**.** आर**.** शाह और कृष्णा मुरारी**,** जे**.** जे**.]**

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956:धारा 2 (2)-अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अधिनियम के प्रावधानों को लागू न करना-अपीलकर्ता-राज्य द्वारा अधिग्रहित भूमि के संबंध में मुआवजे की राशि में एक पंचमांश हिस्से का दावा करने वाले सह-पक्षकारों में से एक की बेटी-केवल अन्य सह-पक्षकारों के पक्ष में तय की गई मुआवजे की राशि-संदर्भ न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता के दावे को खारिज करना क्योंकि पक्षकार अनुसूचित जनजाति हैं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं हैं-उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःएस के अनुसार।2(2), अधिनियम अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होगा, इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता जीवित रहने के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है-हालांकि समानता पर, यह न्यायालय अपीलकर्ता के साथ हो सकता है, हालांकि, जब विधि और समानता के बीच संघर्ष होता है, तो विधि प्रबल होगा-समानता केवल विधि का पूरक हो सकती है-इसमें एक अंतर है लेकिन यह विधि को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है-यदि 1956 के अधिनियम के अंतर्गत उत्तरजीविता के आधार पर अपीलार्थी का दावा स्वीकार किया जाता है, तो उस मामले में यह विधि में संशोधन करने के समान होगा, जो अदालत नहीं कर सकती है-इस प्रकार, एस.2(2) और अपीलार्थी अनुसूचित जनजाति की महिला सदस्य होने के नाते विशेष रूप से बहिष्कृत है, अपीलार्थी 1956 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उत्तरजीविता के किसी भी अधिकार का हकदार नहीं है-इसके अलावा, आदिवासी महिला सदस्य को उत्तरजीविता के अधिकार से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है, जब गैर-आदिवासी की बेटी पिता की संपत्ति में समान हिस्से की हकदार है-महिला आदिवासी निर्वसीयत उत्तराधिकार में पुरुष आदिवासी के साथ समानता की हकदार है-इसके मद्देनजर, केंद्र सरकार को मामले को देखने के लिए निर्देश जारी करना और यदि आवश्यक हो, तो 1956 के अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन करना जिसके द्वारा 1956 का अधिनियम अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं किया गया है।

/

/

/

/

/

मधु किश्वर और अन्य। बनाम बिहार राज्य और अन्य।,

(1996) 5 एससीसी **125:[1996] 1** पूरक।एससीआर **442;** ए

/

441

442 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 18 एस. सी. आर.

लबिश्वर मांझी बनाम प्राण मांझी और अन्य। , (2000) 8 एस. सी. सी. 587; बी. प्रेमानंद और अन्य। बनाम मोहन कोइकल

और ओआरएस।, (2011) 4 एससीसी 266:[2011] 3 एससीआर 932; जे. पी.

बंसल बनाम राजस्थान राज्य और अन्र। आकाशवाणी (2003) एससी 1405:[2003] 2 एस. सी. आर. 933; झारखंड राज्य और अन्र।

बनाम गोविंद सिंह, जे. टी. 2004 (10) एस. सी. 349-संदर्भित।संदर्भित निर्णय

/

[1996] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 442** को संदर्भित किया गया

पैरा **3**

[2011] 3 एससीआर **932**

संदर्भित

पैरा **4.4**

[2003] 2 एससीआर **933**

संदर्भित

पैरा **4.4**

/

(2000) 8 एस**.** सी**.** सी**. 587**

संदर्भित

पैरा **4.4**

जेटी **2004 (10)** एससी **349**

संदर्भित

पैरा **4.4**

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील संख्या 6901।

2015 के एल. ए. ए. सं. 79 में कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

/

डॉ. जन्मेजय राय, अनीश मित्तल, एस. आर. सुंदरम, गौरव तेवतिया, सुश्री संजना मनचंदा, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

डॉ. केदारनाथ त्रिपाठी, रामेंद्र मोहन पटनायक, भुवन राज, रघुनाथ पाठक, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. 2015 की भूमि अधिग्रहण अपील में कटक में उड़ीसा के उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर उक्त अपील को खारिज कर दिया है और विद्वान संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है, मूल आवेदक ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

/

2. विवाद अधिग्रहित भूमि के संबंध में मुआवजे की राशि के विभाजन के संबंध में है।यह भूमि मूल रूप से स्वर्गीय सत्यानंद नेगी के नाम पर दर्ज की गई थी, जो अपीलार्थी और अन्य सह-पक्षकारों के सामान्य पूर्वज थे।उक्त सत्यानंद की मृत्यु हो गई और वे अपने पीछे अपने दो बेटों चक्रधर और गजधर को छोड़ गए।चक्रधर अपने पीछे अपने चार बेटों चिंतामणि, परखिता, बासुदेव और कुलमणि और एक बेटी कमला (यहाँ अपीलकर्ता) को छोड़ गए।इसी तरह, गजधर की मृत्यु हो गई और वह अपनी दो बेटियों ए को पीछे छोड़ गए।

/

/

443

कमला नेती (मृत) थ्रू एल. आर. एस. बनाम.विशेष भूमि अधिग्रहण कार्यालय और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

कुमारी और कुमुदिनी।अधिग्रहित भूमि, खसरा No.81, मौज़ा कोपसिंघा, जो मूल रूप से स्वर्गीय सत्यानंद नेगी के नाम पर दर्ज थी, के संबंध में मुआवजे की राशि प्रतिवादी एन. ओ. एस. के पक्ष में रु. 5,97,35,754/- तय की गई। इसमें 2 से 5 यानी कदंब नेगी, जान्हबी नेगी, वासुदेव नेगी, ललिता नेगी और गजधर की बेटियां यानी कुमारी ध्रुव और कुमुदिनी माझी।

/

2.1 चक्रधर की बेटी होने का दावा करने वाले और मुआवजे की राशि में पांचवें हिस्से का दावा करने वाले अपीलार्थी के उदाहरण पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत संदर्भ न्यायालय को एक निर्देश दिया गया था। संदर्भ न्यायालय -विद्वान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, सुंदरगढ़ ने मुआवजे में अपीलार्थी के दावे/हिस्से को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया कि चूंकि पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित हैं, इसलिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे और इसलिए अपीलार्थी बेटी होने के नाते मुआवजे की राशि में हिस्से का हकदार नहीं होगा।विद्वत संदर्भ न्यायालय द्वारा मुआवजे की राशि में हिस्सेदारी से इनकार करने के आदेश की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा की गई है।इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश के खिलाफ वर्तमान अपील।

/

/

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने मधु किश्वर के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया है और

ओआरएस। बनाम बिहार राज्य और अन्य (1996) 5 एस. सी. सी. 125 के समर्थन में

/

उसका यह निवेदन कि अपीलकर्ता बेटी होने के नाते हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते हुए भी मुआवजे की राशि में हिस्से का हकदार होगा।

3.1 यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आजीविका के अधिकार से वंचित करने के बराबर होगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि उत्तराधिकारियों की पुरुष पंक्ति में विशेष उत्तराधिकार तब तक निलंबित एनिमेशन में रहना चाहिए जब तक कि अंतिम पुरुष किरायेदार की तत्काल महिला रिश्तेदार भूमि पर अपनी आजीविका पर निर्भर नहीं रहती हैं।

/

/

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं/बेटी को समान अधिकार से वंचित करना लिंग आधारित भेदभाव होगा और बेटी को संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है जिसमें सभी सह-भागीदारों का समान हिस्सा है।

/

उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान अपील को अनुमति दी जाए और यह अभिनिर्धारित किया जाए कि अपीलार्थी सह-पक्षकारों में से एक की बेटी होने के नाते मुआवजे की राशि में एक तिहाई हिस्से का हकदार होगा।

4. वर्तमान अपील का डॉ. केदारनाथ त्रिपाठी ने जोरदार विरोध किया है, जो प्रतिद्वंद्वियों की ओर से पेश हुए विद्वान वकील हैं।

/

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं।सूट की जमीन सत्यानंद नेगी की है और उनकी मृत्यु के बाद, उक्त भूमि उनके दो बेटों चक्रधर और गजधर को हस्तांतरित कर दी गई, जिसमें उत्तरजीविता का अधिकार उपलब्ध था।उक्त चक्रधर का निधन वर्ष 1948 में भारत के संविधान और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1954 के प्रारंभ से पहले हुआ था।चक्रधर और उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद, संपत्ति में उनका हिस्सा उनके चार बेटों को हस्तांतरित कर दिया गया, जिनके पास उत्तराधिकार के रूप में एक चौथाई

हिस्सा था।चार बेटों द्वारा इस तरह के उत्तराधिकार के 60 से अधिक वर्षों के बाद, प्रत्येक के एक चौथाई शेयर रखने के बाद, उनकी संपत्तियों का अधिग्रहण सरकार द्वारा भेडाबहल, जिला सुंदरगढ़ में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए किया गया था।भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे का निर्धारण किया गया था और उसी का भुगतान चार बेटों को किया गया था- उत्तरदाता यहाँ संपत्ति के मालिक हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद अपीलार्थी ने एल. ए. ओ., सुंदरगढ़ के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें दावा किया गया कि मुआवजे में उनका 1/5 वां हिस्सा सत्यानंद नेगी के वंशजों में से एक है।कि विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत संदर्भ के मामले में मामला वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, सुंदरगढ़ के न्यायालय को भेजा गया था।विद्वत संदर्भ न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए आवेदन को खारिज कर दिया कि वह अनुसूचित जनजाति की सदस्य होने के नाते मुआवजे की राशि में किसी भी राशि का दावा करने की हकदार नहीं है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे और इसलिए, उसे संयुक्त परिवार की संपत्ति में उत्तरजीविता का कोई अधिकार नहीं होगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम विशेष रूप से धारा 2 (2) के प्रावधानों पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है।

/

/

/

/

/

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ता हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के आधार पर वाद संपत्ति में कोई हिस्सा प्राप्त करने का हकदार नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उनके पिता चक्रधर का निधन वर्ष 1948 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ए के अधिनियमन से पहले हो गया था।

/

445

कमला नेती (मृत) थ्रू एल. आर. एस. बनाम.विशेष भूमि अधिग्रहण कार्यालय और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

1954 और भारत के संविधान से पहले भी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तथ्य के अलावा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1954 की धारा 2 (2) को देखते हुए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में

किसी भी स्पष्ट खंड के बिना, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को अपीलार्थी को मुआवजा प्रदान करने के लिए पूर्वव्यापी संचालन नहीं दिया जा सकता है।

/

4.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 (2) के अनुसार, यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि लबिश्वर मांझी बनाम के मामले में। प्राण मांझी और अन्य, (2000) 8 एस. सी. सी. 587, यह स्पष्ट रूप से माना जाता है कि यदि अनुसूचित जनजाति के सदस्य हिंदू धर्म की प्रथाओं और प्रथाओं का पालन करते हैं, तो केवल हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि पक्षों ने हिंदूकरण किया है।यह प्रस्तुत किया जाता है इसलिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम इसमें पक्षकारों पर लागू नहीं होगा।

/

/

4.4 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के एक समूह में अभिनिर्धारित किया गया है, जब भी विधि और समानता के बीच संघर्ष होता है, तो विधि प्रबल होगा।रिलायंस को इस न्यायालय के फैसले पर रखा गया है

बी. प्रेमानंद और अन्य का मामला। बनाम। मोहन कोइकल और अन्य, (2011)

4 एससीसी 266।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है

जे. पी. बंसल बनाम राजस्थान राज्य और अन्न का मामला। ए. आई. आर. (2003) एस. सी. 1405 और झारखंड और अन्न राज्य। बनाम गोविंद सिंह, जे. टी. 2004

/

(10) एस. सी. 349, विधि में संशोधन करना विधायिका का काम है न कि न्यायालय का।
4.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस माननीय न्यायालय ने कई अवसरों पर आदिवासी समुदायों को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के लाभ देने से इनकार कर दिया, जब तक कि इसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया हो।इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा रखा गया है

/

मधु किश्वर (ऊपर) के मामले में।

उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

/

5. संबंधित पक्षों के लिए विद्वान परामर्श को विस्तार से सुना।6. इस न्यायालय के विचार के लिए एक संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी/याचिकाकर्ता बेटी होने के नाते हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उत्तरजीविता के आधार पर अधिग्रहित भूमि के संबंध में मुआवजे में हिस्से का हकदार है?शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अपीलार्थी आदिवासी है

/

समुदाय और अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 (2) के अनुसार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होगा। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा ठीक ही कहा गया है कि अपीलार्थी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जीवित रहने के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। इसलिए, जब तक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 (2) बनी रहती है और कोई संशोधन नहीं होता है, तब तक पक्ष हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 (2) के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे। इसलिए, यद्यपि समता के आधार पर हम अपीलार्थी की बेटी होने के साथ हो सकते हैं और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अधिनियमन के बाद लगभग 70 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है और उसके बाद बहुत पानी बह गया है और यद्यपि हम प्रथम दृष्टया यह राय रखते हैं कि पिता की संपत्ति में बेटी को उत्तरजीविता का लाभ न देना विधि ी रूप से खराब कहा जा सकता है और वर्तमान परिदृश्य में उचित नहीं कहा जा सकता है, जब तक कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 (2) में संशोधन नहीं किया जाता है, अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के नाते पक्ष हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 (2) द्वारा शासित होते हैं। मोहन कोइकल (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा यह अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है कि जब विधि और समानता के बीच टकराव होता है, तो विधि प्रबल होगा। समानता केवल विधि का पूरक हो सकती है।इसमें एक अंतर है लेकिन यह विधि का स्थान नहीं ले सकता है।

/

/

/

6.1 यदि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तरजीविता के आधार पर अपीलार्थी का दावा उस मामले में स्वीकार किया जाता है तो यह विधि में संशोधन के समान होगा।विधि में संशोधन करना विधायिका का काम है न कि न्यायालय का।

/

6.2 अब जहाँ तक अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा मधु किश्वर (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर दी गई निर्भरता का संबंध है, शुरुआत में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बहुमत के निर्णय से इस न्यायालय ने अनुच्छेद 14 की कसौटी पर छोटा नागपुर किरायेदारी अधिनियम, 1908 के प्रावधानों को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसमें उत्तराधिकारियों की पुरुष पंक्ति में संपत्ति का उत्तराधिकार प्रदान किया गया था और बेटी को उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित किया गया था।हालाँकि, इस न्यायालय ने उक्त प्रावधानों को पढ़ा और कहा कि अधिनियम की धारा 7 और 8 के अंतर्गत महिला आश्रितों/वंशजों के मध्यवर्ती अधिकार को पुरुष उत्तराधिकार के अनन्य अधिकार को निलंबित करके तब तक बनाया जाएगा जब तक कि महिला आश्रित/वंशज आजीविका के अन्य साधनों का चयन नहीं करती है जो इस उद्देश्य के लिए रखे गए स्वामित्व को त्यागने या जारी करने से प्रकट होते हैं। इस न्यायालय ने रिट याचिका का इस तरह से निपटारा किया।हालाँकि, रिट याचिका का निपटारा करके इस न्यायालय ने ए को निर्देश जारी किया

/

/

/

447

कमला नेती (मृत) थ्रू एल. आर. एस. बनाम.विशेष भूमि अधिग्रहण कार्यालय और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

बिहार राज्य हमारे संवैधानिक लोकाचार और विधि में संशोधन की आवश्यकता के आधार पर इस प्रश्न की व्यापक रूप से जांच करेगा।6.3 इस न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह सिफारिश करने के प्रश्न की जांच करने का भी निर्देश दिया कि क्या केंद्र सरकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत दी गई छूट को वापस लेना उचित और आवश्यक समझती है, जहां तक बिहार राज्य में अनुसूचित जनजातियों पर इन प्रावधानों के लागू होने का संबंध है।

/

6.4 तथापि, न्यायमूर्ति श्री के. रामास्वामी ने अपने समवर्ती निर्णय में आगे कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसूचित

जनजातियों पर लागू होंगे, जिसमें निहित सामान्य सिद्धांत न्याय, समानता, निष्पक्षता, न्याय और सद्भावना के अनुरूप होंगे।इसके बाद यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति की महिलाएं निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा अपने माता-पिता, भाई, पति की संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी और इस न्यायालय द्वारा संशोधित और व्याख्या किए गए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार पूर्ण अधिकारों के साथ पुरुष उत्तराधिकारी के साथ समान हिस्से के साथ संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी।हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यही अल्पमत का दृष्टिकोण है।

/

/

7. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 (2) और अपीलार्थी के अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने और अनुसूचित जनजाति की महिला सदस्य के रूप अंतर्गत विशेष रूप से बहिष्कृत होने की परिस्थितियों को देखते हुए, अपीलार्थी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उत्तरजीविता के किसी भी अधिकार का हकदार नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।इसलिए अपील खारिज की जानी चाहिए और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

/

/

7.1 अलग होने से पहले, हम देख सकते हैं कि जहां तक जनजाति की महिला सदस्य का संबंध है, उत्तरजीविता के अधिकार से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है।जब गैर-आदिवासी की बेटी पिता की संपत्ति में समान हिस्से की हकदार है, तो आदिवासी समुदाय की बेटी को इस तरह के अधिकार से वंचित करने का कोई कारण नहीं है।महिला आदिवासी निर्वसीयत उत्तराधिकार में पुरुष आदिवासी के साथ समानता की हकदार है।भारत के संविधान के 70 वर्षों की अवधि के बाद भी आदिवासी बेटी को समान अधिकार से वंचित करने के लिए, जिसके अंतर्गत समानता के अधिकार की गारंटी है, केंद्र सरकार के लिए इस मामले पर गौर करने और यदि आवश्यक हो, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन करने का समय आ गया है, जिसके द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं किया गया है।

/

/

7.2 इसलिए, यद्यपि हम वर्तमान अपील को खारिज करते हैं, केंद्र सरकार द्वारा इस प्रश्न की जांच करने का निर्देश दिया जाता है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत दी गई छूट को वापस लेना न्यायसंगत और आवश्यक है, जहां तक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसूचित जनजातियों पर लागू होते हैं और क्या एक उपयुक्त संशोधन लाना है या नहीं।हम आशा और विश्वास करते हैं कि केंद्र सरकार इस मामले को देखेगी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के अंतर्गत गारंटीकृत समानता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेगी।

/

निधि जैन

याचिका खारिज कर दी गई।

/

(सहायकः शाश्वत जैन, एलसीआरए)

/

/

/

/

/